कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 3184 / प्र.अ. / विधि / लो.स्वा.यां.वि. / 2024 भोपाल, दिनांक 02/04/2024

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   परिक्षेत्र भोपाल / (वि. / यां.) भोपाल /
   इंदौर / जबलपुर / ग्वालियर
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   मंडल..............................
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   खंड..................................

विषयः— दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा स्थायी वर्गीकरण के आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष स्थायी वर्गीकरण के दिनांक से वर्तमान तक की संपूर्ण एरियर राशि प्राप्त करने के लिये दायर किये जाने वाले न्यायालयीन प्रकरणों में रिट पिटीशन के आधार पर दावों का निराकरण कर जबावदावा दाखिल करने विषयक।

संदर्भः—(1) इस कार्यालय का पत्र कमांक 13300 / प्र.अ. / विधि / लो.स्वा.यां.वि. / 2023 भोपाल, दिनांक 27.09.2023

(2) इस कार्यालय का पत्र कमांक 3173/ प्र.अ. / विधि / लो.स्वा.यां.वि. / भोपाल, दिनांक 02.04.24

—0—

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र क्रमांक—1 के माध्यम से स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा, स्थायी वर्गीकरण के दिनांक से वर्तमान तक की एरियर राशि प्राप्त करने हेतू दायर किये जाने वाले न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत पारित निर्णयों को आपको संसूचित करते हुये निर्देशित किया गया था कि इन निर्णयों को माननीय न्यायालय के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावे। इन सभी निर्णयों में यह अभिनिर्धारण किया गया है कि वादी कर्मचारी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने की दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक की ही एरियर राशि की पात्रता आती है।

इसी प्रकार संदर्भित पत्र कमांक—2 के माध्यम से जिन न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थाई वर्गीकरण दिनांक से वर्तमान तक की एरियर राशि दिये जाने के बाध्यकारी

निरंतर—2—

आदेश दिये गये हैं, उनमें रिव्यू पिटीश्न दायर कर एरियर राशि को रिट याचिका दायर करने से तीन वर्ष पूर्व तक सीमित कराने का प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया था।

विभाग के संज्ञान में आया है कि एरियर राशि से संबंधित कुछ न्यायालयीन प्रकरण, जिनमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा उनके पक्ष में वर्ष 2003–04 में जारी किये गये स्थाई वर्गीकरण आदेशों को आधार बनाकर, स्थायी वर्गीकरण दिनांक से वर्तमान तक की एरियर राशि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है, अभी भी दायर किये जा रहे हैं तथा कुछ ऐसे प्रकरण पूर्व से ही विचाराधीन हैं। ऐसे प्रकरणों के प्रतिरक्षण में पूर्व से ही सावधानी बरतने की आवयकता है अन्यथा संपूर्ण एरियर राशि प्रदान करने संबंधी बाध्यकारी न्यायालयीन निर्णय जारी हो सकते हैं।

इस प्रकृति के प्रकरणों में जो वर्तमान में न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन हैं, विभाग के स्तर से प्रभावी प्रतिरक्षण के उद्‌देश्य से यह निर्देशित किया जाता है कि मुख्य अभियंता स्तर से पूर्व से ही रिट याचिका दायर करने के दिनांक से तीन वर्ष पूर्व की एरियर राशि स्वीकृत करने के संबंध में आदेश जारी कर, उन आदेशों को माननीय न्यायालय के समक्ष जबावदावे के रूप में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जावे।

आपके मार्गदर्शन हेतु मुख्य अभियंता स्तर से जारी किया जाने वाला आदेश प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया विषयांकित प्रकृति के विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरणों में मुख्य अभियंता स्तर से उक्त आदेश जारी कर पूर्व से ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने की कार्यवाही करें ताकि भविष्य में रिव्यू पिटीशन/रिट अपील आदि दायर करने की स्थिति निर्मित होने से रोकी जा सके।

पुनः आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संबंध में स्थायी वर्गीकरण के प्रशासकीय आदेश पूर्व में जारी हुये हैं, मात्र ऐसे कर्मचारी द्वारा एरियर राशि हेतु न्यायालयीन प्रकरण दायर किये जाने पर ही इस पत्र के अनुसार कार्यवाही संपादित की जानी है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार आदेश प्रारूप

1.4.2024

प्रमुख अभियंता

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
———— परिक्षेत्र ————

क्रमांक / मु अ./लोस्वायांवि./2024 दिनांक

//आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर / खंडपीठ ग्वालियर / खंडपीठ इंदौर की रिट पिटीशन कमांक ——————— (———————एवं अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड ———— से सम्बंधित, कार्यरत /सेवानिवृत्त कर्मचारी /कर्मचारीगणो के द्वारा रिट पिटीशन में चाहे गये स्वत्वों का निर्धारण किया जा रहा है।

(1) श्री ———————, श्री ——————— , श्री ——————— एवं श्री ——————— द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर / खंडपीठ ग्वालियर / खंडपीठ इंदौर के समक्ष रिट पिटीशन क. ——————— दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई है :-

> प्रतिवादियों को निर्देशित किया जावें कि वे याचिकाकर्ता कर्मचारी /कर्मचारीगणो को स्थाई वर्गीकरण के दिनांक ——————— से आज पर्यन्त / नियमितीकरण के दिनांक ——————— तक का पद का न्यूनतम वेतनमान और वेतन अंतर की राशि का लाभ, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **''रामनरेश रावत (सुप्रा)''** प्रकरण में पारित निर्णय अनुसार प्रदान करे तथा उक्त अवधि की वेतन एरियर की राशि भी प्रदान करे ।

(2) याचिकाकर्ता कर्मचारी /कर्मचारीगणो द्वारा रिट पिटीशन में उठाये गए मुद्दों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार किया जा रहा है :-

(अ) याचिकाकर्ता कर्मचारी /कर्मचारीगणो को कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड ———— के प्रशासकीय आदेश क्रमांक ———— दिनांक ———— द्वारा स्थाई वर्गीकृत किया गया था । विभाग द्वारा समय – समय पर लिए गए निर्णयानुसार उनका स्थाई वर्गीकरण अभी भी प्रभावशील मान्य है ।

(ब) याचिकाकर्ता कर्मचारी /कर्मचारीगणो को माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा अवमानना याचिका क्रमांक 771/2015 (राम नरेश रावत एवं अन्य बनाम अश्विनी कुमार राय एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 के अनुसार उसे /उन्हें जिस दिनांक से स्थाई वर्गीकृत किया गया था , उस दिनांक से जिस पद पर स्थाई वर्गीकृत किया गया /गए था /थे, उस पद के नियमित वेतनमान के न्यूनतम वेतन और वेतन अंतर की एरियर राशि पाने की पात्रता आती है ।

(स) प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया है कि याचिकाकर्ता कर्मचारी /कर्मचारीगणो द्वारा स्थाई वर्गीकरण आदेश के आधार पर नियमित वेतनमान / नियमित वेतनमान के न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) और तत्सम्बन्धी

एरियर राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए, स्थाई वर्गीकरण का प्रशासकीय आदेश जारी होने के उपरांत ———— वर्षो के पश्चात् दिनांक ———— को मान उच्च न्यायलय के समक्ष रिट याचिका क्रमांक ————दायर की गयी है ।

(द) परिसीमा अधिनियम 1963 में जिन प्रकृति की प्रकरणों के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने सीमा निर्धारित की गई है, उन प्रकृति के प्रकरणों को छोड़कर, अन्य तरह के सभी प्रकरणों हेतू समय–सीमा **Cause of Action** उत्पन्न होने के उपरांत अधिकतम 03 वर्ष तक निर्धारित की गई है। उपरोक्तानुसार इस प्रकृति के प्रकरणों में याचिकाकर्ता कर्मचारी/कर्मचारियों को **प्रथम रिट याचिका दायर करने के दिनांक से अधिकतम 03 वर्ष पूर्व तक की एरियर राशि ही पात्रता आती है।** यानि प्रकरण दायर करने में **03 वर्ष से अधिक का** विलंब करने का खामियाजा कर्मचारी/कर्मचारियों को एरियर राशि के नुकसान के रूप में भुगतना होगा। यद्यपि उसके वर्तमान वेतन को काल्पनिक निर्धारण के आधार पर पूर्णतः सुधार दिया जावेगा।

(इ) विभाग के संज्ञान में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित न्यायदृष्टांत **''एम.आर.गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य (1995) 5 SCC 628''** है। उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में निम्न दो बिन्दुओं का अभिनिर्धारण किया गया है :–

(i) त्रुटिपूर्ण वेतन प्राप्त होने वाले मामलों में "Cause of action" यानि **''विवाद का कारण''** सिर्फ एक बार उस समय पैदा नहीं होता जबकि जिस समय कोई लाभ दिया जाना था, नहीं दिया गया अथवा सरकार द्वारा कर्मचारी के दावे को खारिज कर दिया गया हो । बल्कि यह निरंतर रूप से हर माह भुगतान होने वाले वेतन के साथ उत्पन्न होते रहता है क्योंकि उसे जो वेतन मिल रहा है वह नियमों के अनुरूप नहीं है। जब तक कर्मचारी सेवा में है तब तक हर माह उसे मिलने वाले वेतन के साथ ही एक ताजा "Cause of action" उत्पन्न होता है। इसे "Continuous cause of action" का सिद्धांत कहा जाता है। उपरोक्तानुसार गलत वेतन को सुधारने के मामलों में लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिये, निर्धारित अवधि की गणना करते समय सेवारत रहते हुये कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

(ii) यदि आवेदक का दावा मेरिट के आधार पर सही पाया जाता है तो उसे भविष्य में नियमों के हिसाब से वेतन का भुगतान किया जाना चाहिये तथा इस मामले में पूर्व के समय के वेतन एरियर के भुगतान के मामले में लिमिटेशन का प्रश्न उत्पन्न होगा। दूसरे शब्दों में आवेदक का दावा यदि कोई है जो त्रुटिपूर्ण वेतन प्राप्ति के कारण वेतन एरियर की प्राप्ति से संबंधित है, जिसकी गणना वेतन अंतर की राशि के आधार पर की जाती है तो वह लिमिटेशन एक्ट में दी गई समय–सीमा के अंतर्गत आयेगा और वह एक्ट में प्रावधानित अवधि से अधिक अवधि की एरियर राशि का पात्र नही होगा।

(फ) माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण एम.आर.गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य (1995) 5 SCC 628 में पारित सिद्धांत का अनुसरण करते हुए सिविल अपील क्रमांक 5151–5152 /2008 ''भारत संघ एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह'' में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2008 , सिविल अपील क्रमांक 4134 /2022''रूसीभाई जगदीशचंद्र पाठक बनाम भावनगर म्युनिसपल कारपोरेशन'' में पारित निर्णय दिनांक 18 मई 2022 , सिविल अपील क्रमांक 10251 /2014 ''असगर इब्राहिम अमीन बनाम जीवन बीमा निगम'' में पारित निर्णय दिनांक 12 अक्टूबर 2015 एवं सिविल अपील क्रमांक 3156 /2007 ''मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य बनाम योगेन्द्र श्रीवास्तव'' में पारित निर्णय दिनांक 07 अक्टूबर 2009 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 4349 /2023 ''धरम पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एव अन्य'' में पारित निर्णय दिनांक 11 जुलाई 2023 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण वेतन के मामलो में यदि एरियर राशि का प्रश्न भी शामिल है तो कर्मचारी प्रथम रिट याचिका दायर करने के दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक की ही एरियर राशि प्राप्त करने का पात्र होगा ।

(य) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा निर्णित इस प्रकृति (किसी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को स्थाई वर्गीकृत किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले न्यूनतम नियमित वेतनमान एवं तत्सम्बन्धी एरियर राशि) के 02 प्रकरणों क्रमशः रिट पिटीशन क 8014/2022 (सुरेश कुमार तिवारी एवं 11 अन्य विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11 अप्रैल 2022 एवं रिट पिटीशन क्र. 13892/2022 (हृदयराम यादव एवं 10 अन्य विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 24 जून 2022 में निम्नानुसार उल्लेख है :–

> The law laid down by the Supreme Court in the case of M.R. Gupta Versus Union of India and Others (1995) 5 SCC 628 provides that the law of limitation will be applicable and the petitioners will not be entitled to claim arrears of salary for which the cause of action arises on every 1st day of the month when their salary becomes due for a period exceeding three years prior to the date of filing of the writ petition.
>
> Accordingly, this writ petition can be disposed of modifying the order dated 10.11.2020 passed by the Gwalior Bench of the High Court of Madhya Pradesh in Writ Petition No.16421/2020 (Rakesh Kumar Shrivastava & Others versus State of Madhya Pradesh & Others) to the extent that in case the petitioners' classification is intact then they will be entitled to the minimum of pay scale admissible to the post on which they are working in the light of the law laid down by the Supreme Court in the case of Ram Naresh Rawat versus Ashwini Ray 2017 (Volume 3)

SCC 436 but their arrears will be restricted for a period of three years prior to the date of filing of the present writ petition i.e. three years prior to 1.4.2022 in the light of the law laid down by the Supreme Court in the case of M.R. Gupta Versus Union of India and Others (supra).

In above terms, this writ petition is disposed of.

(र) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा निर्णित इस प्रकृति (किसी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को स्थाई वर्गीकृत किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले न्यूनतम नियमित वेतनमान एवं तत्सम्बन्धी एरियर राशि) के 01 अन्य प्रकरण रिट पिटीशन क. 4802/2023 (श्रीनिवास मिश्रा विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 01 मार्च 2023, में निम्नानुसार उल्लेख है :–

It is made clear that if respondents authorities found paid for permanent classification, then to pay him wages in accordance with the law laid down by Supreme Court in Ram Naresh Rawat (supra). However, it is made clear that arrears will be restricted to a period of three years and notional fixation will be made as revised from time to time.

(ल) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा निर्णित इस प्रकृति (त्रुटिपूर्ण वेतन को पूर्व दिनांक से सुधारने और तत्सम्बन्धी एरियर राशि) के 01 अन्य प्रकरण रिट पिटीशन क. 11036/2021 (नारायण प्रसाद पांडेय विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 16 जुलाई 2021, में निम्नानुसार उल्लेख है :–

This Court has granted benefit to similarly situated employees vide its order dated 02.06.2012 in case of **A.L. Thakur (supra)**. Petitioner was sleeping over his right and did not file writ petition immediately. However, considering the fact that fixation of pay and grant of pay scale is recurring cause of action, therefore, it is ordered that petitioner may be granted similar benefit of pay scale mentioned above and petitioner shall be entitled to revised pay scale and pension. Petitioner is only entitled for arrears of his pay scale for period of three years prior to date of filing of writ petition i.e. 24.06.2021.

इस निर्णय के विरुद्ध मान उच्च न्यायालय की युगल पीठ के समक्ष दायर की गयी रिट अपील क्रमांक 808/2021 (नारायण प्रसाद पांडेय विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 16 सितम्बर 2021, में निम्नानुसार उल्लेख है :–

Even that argument of the learned counsel for the appellant is hardly convincing because the appeal itself was dismissed by the Division Bench on 09.12.2013 and an SLP there against was dismissed on 09.01.2015 by the Supreme Court. The writ petition has been filed highly belatedly on 24.06.2021. In our view, therefore, the direction of the learned Single Bench to confine the payment of arrears of his pay scale for the period of three years prior to the date of filing writ petition, cannot be faulted.

However, it is clarified that the appellant shall be entitled to notional benefits of fixation of pay and grant of pay scale and also the revision of the retiral benefits/pension for the intervening period while computing the arrears of three years and also the revised pension which is to be now paid to him while making compliance of the order of the learned Single Judge which shall be made within the period of two months from the date a copy of this order is produced before the respondents.

With the aforesaid direction, the writ appeal is disposed of.

(व) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा इस प्रकृति (त्रुटिपूर्ण वेतन को पूर्व दिनांक से सुधारने और तत्सम्बन्धी पेंशन एरियर राशि) के 01 अन्य प्रकरण रिट पिटीशन कमांक 17459/2023 (चंद शेखर चौरे बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 24 जुलाई 2023 में निम्नानुसार उल्लेख है :–

8. However, the petitioner had superannuated on 30.06.2010, thus the petitioner was a fence sitter and he did not approach the Court and it is well established principle of law that the Court can deny relief to similarly situated person, who was not vigilant for his rights and approached the Court by waking up only after the rights of vigilant litigants were adjudicated by the court.

9. Since the petitioner was a fence-sitter, therefore by extending the benefit of the judgment passed by the Supreme Court in the case of The Director (Admn. and HR KPTCL) (supra), it is held that the petitioner shall not be entitled for arrears but shall only be entitled for refixation of pension payable in future.

(श) ऊपर उल्लेखित कंडिका (अ), (ब), (स), (द), (ई), (फ), (य), (र), (ल), एवं (व) के आधार पर यह निष्कर्षित किया जाता है कि याचिकाकर्ता कर्मचारी/कर्मचारीगणों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **"रामनरेश रावत एवं अन्य बनाम अश्विनी राय एवं अन्य"** में पारित निर्णय अनुसार स्थाई वर्गीकरण के दिनांक से पद के न्यूनतम नियमित वेतनमान एवं वेतन अंतर की एरियर राशि की पात्रता आती है किन्तू उसे/उन्हें रिट याचिका दायर करने के दिनांक ------ से अधिकतम तीन वर्ष

पूर्व तक की एरियर राशि की पात्रता होगी जबकि उनके वेतन को काल्पनिक रूप से समय–समय पर किये गये पुनरीक्षण को लागू करते हुए, वर्तमान स्थिति तक पूर्णतः सुधार दिया जावेगा तथा उन्हें आगे पूर्णतः सही वेतन प्राप्त होगा।

(ह) कंडिका (श) के अनुसार याचिकाकर्ता कर्मचारी/कर्मचारीगणों को उसे/उन्हें स्थाई वर्गीकृत किये जाने के दिनांक से पद/समकक्ष पद का कार्यभारित /नियमित स्थापना के नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान (वेतनवृद्धि छोड़कर) स्वीकृत किया जाता है। याचिकाकर्ता कर्मचारी/कर्मचारीगणों के वर्तमान वेतन को नियमित वेतनमान में काल्पनिक रूप से वर्तमान स्टेज तक अपग्रेड करने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। याचिकाकर्ता कर्मचारी/कर्मचारीगणों को रिट याचिका दायर करने के दिनांक................से तीन वर्ष पूर्व यानि दिनांक...................तक की वेतन एरियर राशि (गणनानुसार धनात्मक या ऋणात्मक जो भी हो) के भुगतान की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है। यह भी निर्धारित किया जाता है कि गणना में एरियर राशि ऋणात्मक आने पर किसी भी प्रकार की वसूली निषेधित रहेगी ।

नियमित वेतनमान एवं वेतन अंतर राशि के संबंध में वास्तविक आदेश एवं गणना पत्रक के अनुसार भुगतान आदि की कार्यवाही कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड.................के स्तर से तत्काल करने हेतू निर्देशित किया जाता है

(क्ष)इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि विभाग में कार्यरत कुछ समान प्रकृति के दैनिक वेतन भोगी /कार्यभारित /नियमित कर्मचारियों को त्रुटिपूर्ण रूप से अथवा बाध्यकारी न्यायालयीन निर्णयों के परिपालन में इस तरह के लाभ तीन वर्ष की बजाय सम्पूर्ण अवधि के लिए प्राप्त हुये है तो इस आधार पर आपको भी समान प्रकृति के लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती है क्योकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकरण **''इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एवं अन्य विरूद्ध टी.के.सूर्यनारायणन एवं अन्य'' [(1997) एस.सी.सी. 766]** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कुछ लोगों को त्रुटिपूर्ण लाभ दिया गया है तो वह अन्य लोगों के लिये उस लाभ को प्राप्त करने का आधार नही बन सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया समानता के अधिकार को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

(3) याचिकाकर्ता कर्मचारी /कर्मचारीगणो द्वारा दायर की गयी रिट पिटीशन के जबावदावे के रूप में उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

मुख्य अभियंता

क्रमांक / मु अ./लोस्वायांवि./2024 , दिनांक

प्रतिलिपि :–

(1) अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग मंडल ––––––– की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(3) कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग खंड ––––––– की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(4) श्री ––––––– ––––––– ––––––– कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग खंड––––––– की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

मुख्य अभियंता